न्यायालय सहायक कलक्टर, झुन्झुनू
(पीठासीन अधिकारी :– श्रीमति सुप्रिया आर.ए.एस.)

मुकदमा नं. नया 1455 / 2024

निर्णय दिनांक :– 30/7/2025

उनवान

कुलदीप राव बनाम महेन्द्र सिंह वगै0

कुलदीप राव पुत्र श्री चिरंजीलाल जाति राव निवासी मल्लहार होटल के पीछे, मोटर मार्केट वार्ड नम्बर 18 सरदार शहर चुरू हाल भोजगढ़, तहसील गुढा गौडजी जिला झुन्झुनू।

––वादी

बनाम

1. महेन्द्र सिंह पुत्र फूलसिंह जाति राजपूत
2. लक्ष्मण सिह पुत्र बहादुर सिंह जाति राजपूत
3. पुष्पा कंवर पत्नी बहादुर सिंह जाति राजपूत
4. उर्मिला कंवर पत्नी महेन्द्र सिंह जाति राजपूत
5. राजू पुत्र मूलाराम जाति बडवा

(1 से 5) निवासीगण भोजगढ तह. गुढा गौडजी

6. बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू जरिये शाखा प्रबन्धक।
7. आई.डी.बी.आई. बैंक लिमिटेड शाखा टोडी जरिये शाखा प्रबन्धक।
8. तहसीलदार गुढ़ा गौड़जी जिला झुन्झुनू।

––प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत विभाजन व स्थाई व्यादेश</u>

निर्णय

संक्षेप में वादी की ओर से वाद निम्नानुसार है:–

यह कि राजस्व ग्राम भोजगढ़ प0ह0 पोषाणा तह. गुढा गौड़जी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर नया 251 रकबा 1.10 है0 जिसमें वादी का 1/4 भाग है तथा ग्राम भोजगढ़ प0ह0 पोषाणा तह. गुढा गौड़जी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर नया 245 रकबा 0.04 है0 व 275 रकबा 0.32 है0 में से वादी का हिस्सा 1/2 है, जिसके सहखातेदार राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार 1 लगायत 5 है, जिस बाबत कोई विवाद नहीं है। वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 राजस्व रिकॉर्ड में अंकितानुसार वादपत्र की धारा 1 में अंकित भूमि के सहखातेदार है, उनके मध्य प्रस्तुत भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है काश्त की सहुलियत से मौके पर मौखिक विभाजन है। वादी ने अपने हक व हिस्से की भूमि का मौखिक विभाजन के अनुसार अलग खाता व लगान कायम करवाने के लिए दिंनाक 21.12.2023 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को कहा तो एकदम इन्कार हो गये। वादपत्र की धारा में वर्णित भूमि का जब तक विधिवत विभाजन नहीं हो जाता है तब तक प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को विशेष भू भाग पर ब्लात् कब्जा करने व निर्माण करने को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 राजनैतिक पहुंच वाले व आपस में साज करके बिना वादी की स्वीकृति व सहमति के वादपत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि को हडप करने के लिए 24.12.2023 को विभाजन हेतु इन्कार होकर वादी के कब्जे काश्त की भूमि पर कब्जा करने पर आमादा है तथा उक्त दिनांक से अनाधिकृत कार्यवाही कर रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 से दिनांक 25.12.2023 को पुनः सम्पर्क किया तथा वास्तविक स्थिति से उन्हें अवगत करवाकर ऐसा नहीं करने का निवेदन किया लेकिन उन्होंने दिनांक 25.12.2023 को धमकी दी कि उनके पास लाठियां है तथा राजनैतिक सरंक्षण के आधार पर वे वादी के उसके हक व हिस्से की भूमि से बेदखल करने व मौके पर मरमार करके शान्ति भंग करके अपने निम्न स्तर की कार्यवाही में सफल होंगे। इस बाबत कानून की शरण में आकर यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ।

उपरोक्तानुसार दावा पेश होने पर इस न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रियानुसार दिनांक 12.06.2024 को वाद वादी प्राथमिक तौर पर स्वीकार किया जाकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किया गया तथा तहसीलदार गुढागौड़जी को मौका कमिश्नर नियुक्त कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाये गये। तहसीलदार ने विभाजन प्रस्ताव अपने पत्र क्रमांक भू0अ0/2025/1601 दिनांक 21.05.2025 के द्वारा इस न्यायालय में भिजवाये गये। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी को बहस विभाजन प्रस्ताव पर सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा बहस वकील वादी पर बगौर मनन किया गया। बाद अवलोकन वादीगण अंतिम तौर पर स्वीकार किया जाना न्यायालय मत पर उचित प्रतीत होता है।

सहायक कलक्टर
झुन्झुनूं

—: निर्णय :—

वाद वादी सिद्ध होने पर अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है तथा वाके ग्राम भोजगढ़ प0ह0 पोषाणा तह. गुढा गौड़जी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर नया 251 रकबा 1.10 है0 जिसमें वादी का 1/4 भाग है तथा ग्राम भोजगढ़ प0ह0 पोषाणा तह. गुढा गौड़जी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर नया 245 रकबा 0.04 है0 व 275 रकबा 0.32 है0 भूमि बाबत तहसीलदार गुढागौड़जी द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार द्वारा पत्रक्रमांक भू0अ0/2025/1601 दिनांक 21.05.2025 के द्वारा भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकार अपना—अपना वहन करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो तथा बाद तामील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30/7/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर, झुन्झुनू

सहायक कलक्टर
झुन्झुनूं

मूल वाद में डिक्रि (आदेश 20 के नियम 6 ओर 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी :– श्री सुप्रिया आर.ए.एस.

उनवान
कुलदीप राव बनाम महेन्द्र सिंह वगै0

मुकदमा नं. : 1455 / 2024

निर्णय दिनांक : 30/7/2025

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री अरविन्द सैनी की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक .... को सुप्रिया, सहायक कलक्टर झुन्झुनू के समक्ष निपटारे के पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्रि की जाती है कि वाद वादी सिद्ध होने पर अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है तथा वाके ग्राम भोजगढ़ प0ह0 पोषाणा तह. गुढा गौड़जी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर नया 251 रकबा 1.10 है0 जिसमें वादी का 1/4 भाग है तथा ग्राम भोजगढ़ प0ह0 पोषाणा तह. गुढा गौड़जी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर नया 245 रकबा 0.04 है0 व 275 रकबा 0.32 है0 भूमि बाबत तहसीलदार गुढागौड़जी द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार द्वारा पत्रक्रमांक भू0अ0 / 2025 / 1601 दिनांक 21.05.2025 के द्वारा भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्रि का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें।

पर्चा डिक्रि आज दिनांक 30/7/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा द्वारा जारी किया गया।

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर, झुन्झुनू
सहायक कलक्टर
झुन्झुनूं

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कम्श्निर बाबत इजराय हुक्मनामा	3 1	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी मेहनतनामा वकील पर खर्चा गवाहान फीस कम्श्निर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	
योग	4	योग	

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर, झुन्झुनू
सहायक कलक्टर
झुन्झुनूं